भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 447

(21 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लक्ष्य की प्राप्ति

447. श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्रीमती भारती पारधी:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत स्वीकृत, पूर्ण हो चुके और निर्माणाधीन आवासों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मार्च, 2029 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत 4.95 करोड़ आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का हाल ही में स्वीकृत आबंटन सहित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) स्वीकृत आवासों को समय पर पूरा करने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य-वार क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) लाभार्थी परिवारों को पेयजल, बिजली, स्वच्छता, एलपीजी कनेक्शन और सड़क संपर्क जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कन्वर्जेंस का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रभाव के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों यानी 2021-22 से 2025-26 के दौरान लक्ष्य वर्ष के सापेक्ष स्वीकृत किए गए आवासों, पूरे किए गए आवासों और निर्माणाधीन आवासों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।
(ख) दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत किए गए और पूरे किए गए आवासों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संचयी प्रगति का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों (यानी 2021-22 से 2025-26) के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 1,34,242.45 करोड़ रुपये का केंद्रीय अंश जारी किया गया है। इसमें मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश को जारी किए गए 19,013.72 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को जारी किए गए 14,898.43 करोड़ रुपये शामिल हैं। वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत वित्तीय आवंटन सहित पिछले पांच वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत जारी की गई वित्तीय सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवासों के निर्माण में तेजी लाने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
(i) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर लक्ष्यों का आवंटन और पर्याप्त निधि जारी करना;
(ii) प्रगति की नियमित समीक्षा करना;
(iii) एक डैशबोर्ड पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण करना;
(iv) मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित कार्यशालाओं का आयोजन करना;
(v) ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम, इत्यादि।

(ङ) योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली इकाई सहायता के अतिरिक्त, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पीएमएवाई-जी के प्रत्येक लाभार्थी को आवास निर्माण हेतु अनुमोदित योजना प्रावधानों के अनुसार तथा प्रचलित मजदूरी दरों पर निर्धारित श्रम-दिवसों का अकुशल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है, जिसे मनरेगा योजना / वीबी जी-राम जी के साथ अभिसरण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन (जेजेएम) और हर घर नल से जल (एचजीएनएसजे) या इसी तरह की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के माध्यम से पाइप द्वारा पेयजल भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को विद्युत मंत्रालय, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित संबंधित योजनाओं के माध्यम से बिजली कनेक्शन प्रदान करने में सहायता दी जाती है, और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) या अन्य संबंधित योजनाओं के अंतर्गत तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं।

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत अभिसरण में लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल करना भी शामिल है, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।

राष्ट्रीय स्तर पर, दिनांक 16.07.2026 की स्थिति के अनुसार, कुल 3.08 करोड़ आवासों में शौचालय, 2.43 करोड़ आवासों में पानी के कनेक्शन, 3.07 करोड़ आवासों में बिजली के कनेक्शन, 2.9 करोड़ आवासों में एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, तथा 1.35 करोड़ लाभार्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) से जोड़ा गया है।

(च) नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैन्स एण्ड पॉलिसी (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर), नैशनल इन्स्टिच्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मीनग इंडिया (नीति आयोग) और भारतीय प्रबंधन संस्थान -अहमदाबाद (आईआईएम-ए) जैसी एजेंसियों द्वारा पीएमएवाई-जी के प्रभाव के संबंध में कई आकलन किए गए हैं, जिनमें से नवीनतम अध्ययन आईआईएम-ए द्वारा किया गया है। सभी अध्ययनों में सामान्य रूप से आवास और जीवन की गुणवत्ता पर सकारात्मक प्रभाव की रिपोर्ट दी गई है।

मंत्रालय ने 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-जी के स्वतंत्र मूल्यांकन के लिए आईआईएम-ए को नियुक्त किया था। इस अध्ययन (2026) में पाया गया कि पीएमएवाई-जी ने बढ़ी हुई आवास सुरक्षा, बेहतर स्वच्छता, बेहतर स्वास्थ्य परिणामों, उच्च पारिवारिक आय और बचत, बेघर होने और संकटपूर्ण पलायन में कमी, तथा अधिक वित्तीय समावेशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार किया है। इस मूल्यांकन में लाभार्थियों की गरिमा, जीवन की गुणवत्ता और समग्र सामाजिक-आर्थिक कल्याण पर भी सकारात्मक प्रभाव देखा गया।

अनुबंध - I

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पीएमएवाई-जी के तहत पिछले 5 वर्षों के दौरान लक्ष्य वर्ष के सापेक्ष स्वीकृत किए गए, पूरे हो चुके और निर्माणाधीन आवासों की संख्या का विवरण (राज्य-वार):

क्र.सं	राज्य	स्वीकृत आवास	निर्मित आवास	निर्माणाधीन आवास
1	अरुणाचल प्रदेश	5,497	5,497	0
2	असम	21,60,640	15,44,832	6,15,808
3	बिहार	22,10,788	15,12,269	6,98,519
4	छत्तीसगढ	13,54,352	9,63,548	3,90,804
5	गोवा	0	0	0
6	गुजरात	4,18,814	3,14,715	1,04,099
7	हरियाणा	54,816	19,805	35,011
8	हिमाचल प्रदेश	85,281	57,162	28,119
9	जम्मू और कश्मीर	1,98,923	1,92,741	6,182
10	झारखंड	7,41,074	4,55,559	2,85,515
11	केरल	63,638	18,263	45,375
12	मध्य प्रदेश	27,64,648	17,34,797	10,29,851
13	महाराष्ट्र	31,41,251	10,22,269	21,18,982
14	मणिपुर	72,781	25,229	47,552
15	मेघालय	1,22,387	1,01,284	21,103
16	मिजोरम	16,427	12,015	4,412
17	नागालैंड	30,700	22,183	8,517
18	ओडिशा	9,74,212	7,92,216	1,81,996
19	पंजाब	52,392	31,805	20,587
20	राजस्थान	11,09,687	7,00,010	4,09,677
21	सिक्किम	67	67	0
22	तमिलनाडु	2,57,759	2,34,776	22,983
23	त्रिपुरा	3,27,528	3,25,428	2,100
24	उत्तर प्रदेश	14,77,701	14,69,493	8,208
25	उत्तराखंड	42,812	42,651	161

26	पश्चिम बंगाल	12,60,941	1,52,014	11,08,927
27	अंडमान और निकोबार	1,288	220	1,068
28	दादरा और नगर हवेली	5,116	2,045	3,071
29	लक्षद्वीप	0	0	0
30	आंध्र प्रदेश	1,79,410	41,761	1,37,649
31	कर्नाटक	4,11,890	52,250	3,59,640
32	लद्दाख	1,125	1,125	0
कुल		**1,95,43,945**	**1,18,48,029**	**76,95,916**

अनुबंध - II

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

पीएमएवाई-जी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार प्रगति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य	राज्यों/संघ राज्य क्षेतत्रों द्वारा स्वीकृत किए गए आवास	निर्मित आवास	लक्ष्यों के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने की स्थिति
1	अरुणाचल प्रदेश	35,937	35,591	35,591	346
2	असम	29,62,945	29,09,032	22,88,557	6,74,388
3	बिहार	50,12,752	49,09,838	41,89,147	8,23,605
4	छत्तीसगढ	26,42,224	24,51,294	20,16,970	6,25,254
5	गोवा	257	254	243	14
6	गुजरात	8,39,116	8,29,480	7,17,038	1,22,078
7	हरियाणा	1,06,460	76,468	41,269	65,191
8	हिमाचल प्रदेश	1,08,389	1,02,682	69,018	39,371
9	जम्मू और कश्मीर	3,41,644	3,35,367	3,26,558	15,086
10	झारखंड	20,12,107	19,37,885	16,37,931	3,74,176
11	केरल	1,13,404	85,671	39,991	73,413
12	मध्य प्रदेश	57,74,572	54,14,165	43,38,053	14,36,519
13	महाराष्ट्र	43,80,522	41,39,992	19,84,776	23,95,746
14	मणिपुर	1,13,550	1,06,813	56,929	56,621
15	मेघालय	1,88,034	1,84,296	1,59,693	28,341
16	मिजोरम	29,967	29,959	25,433	4,534
17	नागालैंड	48,830	48,727	38,021	10,809
18	ओडिशा	28,28,739	28,06,753	25,47,541	2,81,198
19	पंजाब	1,13,911	1,04,710	55,522	58,389
20	राजस्थान	24,93,546	24,32,085	20,12,820	4,80,726
21	सिक्किम	1,399	1,397	1,393	6
22	तमिलनाडु	9,57,825	7,34,049	6,71,783	2,86,042
23	त्रिपुरा	3,76,913	3,76,174	3,73,940	2,973
24	उत्तर प्रदेश	42,77,493	36,55,821	36,42,934	6,34,559
25	उत्तराखंड	69,755	68,935	68,241	1,514
26	पश्चिम बंगाल	46,69,423	45,69,031	34,20,433	12,48,990

27	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	3,424	2,591	1,452	1,972
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	11,364	10,540	6,757	4,607
29	लक्षद्वीप	45	45	45	0
30	आंध्र प्रदेश	3,21,326	2,46,929	90,581	2,30,745
31	कर्नाटक	9,44,140	5,68,955	1,71,836	7,72,304
32	तेलंगाना	0	0	0	0
33	लद्दाख	3,004	3,004	3,004	0
कुल (सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए)		**4,17,83,017 (4.18 करोड़)**	**3,91,78,533 (3.92 करोड़)**	**3,10,33,500 (3.10 करोड़)**	**1,07,49,517 (1.08 करोड़)**

नोट: पीएमएवाई-जी को दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी जैसे संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। तेलंगाना राज्य ने इस योजना के पिछले चरण (वित्त वर्ष 2016-2024) के दौरान पीएमएवाई-जी को लागू नहीं किया था।

अनुबंध - III

लोक सभा में दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 447 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस योजना के तहत जारी वित्तीय सहायता का विवरण (राज्य-वार):

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**जारी केंद्रीय अंश (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26)****	**वित्त वर्ष 2026-27* के लिए स्वीकृत किया गया संभावित आवंटन**
1	अरुणाचल प्रदेश	376.04	-
2	असम	24,232.40	4,769.00
3	बिहार	15,446.89	1,420.15
4	छत्तीसगढ	9,566.51	2,730.72
5	गोवा	0.00	-
6	गुजरात	3,565.74	947.77
7	हरियाणा	211.34	269.38
8	हिमाचल प्रदेश	1,096.25	239.77
9	जम्मू और कश्मीर	2,679.57	-
10	झारखंड	3,885.96	3,181.55
11	केरल	228.88	1,341.00
12	मध्य प्रदेश	19,013.72	7,268.80
13	महाराष्ट्र	14,898.43	10,201.09
14	मणिपुर	622.41	61.43
15	मेघालय	1,788.81	-
16	मिजोरम	242.35	-
17	नागालैंड	472.10	-
18	ओडिशा	7,996.87	630.61
19	पंजाब	442.87	95.49
20	राजस्थान	6,287.23	2,690.93
21	सिक्किम	3.12	-
22	तमिलनाडु	3,159.29	1,041.91

23	त्रिपुरा	4,131.28	-
24	उत्तर प्रदेश	11,257.33	377.53
25	उत्तराखंड	685.76	-
26	पश्चिम बंगाल	687.84	-
27	अंडमान और निकोबार	5.45	-
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	23.62	-
29	लक्षद्वीप	-	-
30	आंध्र प्रदेश	515.74	4.92
31	कर्नाटक	669.17	4,652.55
32	लद्दाख	21.99	-
	कुल	**1,34,242.45**	**41,924.60**

* वित्तीय आवंटन संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों के आवंटन के आधार पर संशोधन के अध्यधीन है।

***पीएम-जनमन सहित*
